प्रेस नोट दिनांक 21.08.2025

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा रिमाण्ड पर लिये गये शातिर अपराधी सुशील सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की निशानदेही पर **34.10** ग्राम प्रतिबंधित नशीला पदार्थ "एमडी" **(Methamphetamine Drugs)** बरामद किया गया।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता – रिमाण्ड पर लिये गए शातिर तस्कर से **34.10** ग्राम एमडी नशीला पदार्थ बरामद

नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार का खुलासा – आरोपी सुशील सिंह ने कबूला जुर्म, जिले स्तर पर करता था सप्लाई

अवैध संपत्ति का मालिक निकला नशा कारोबारी – बेनामी सम्पत्ति अर्जित करने की बात स्वीकार

एनडीपीएस एक्ट में सुशील सिंह पर नया मुकदमा दर्ज, **34.10** ग्राम एमडी **(Methamphetamine)** बरामद

पट्टी पुलिस की कार्रवाई – नशे का जखीरा जमीन में गाड़ कर छिपाया गया था, आरोपी की निशानदेही पर बरामद

सुशील सिंह का आपराधिक इतिहास उजागर – पट्टी व कोतवाली नगर में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज

ऑडी कार भी बरामद – नशा कारोबार से जुड़ी संपत्ति की पुलिस जांच जारी-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर चल रहे अभियान में मिली बड़ी सफलता

एनडीपीएस एक्ट व सीएलए एक्ट में दर्ज मुकदमों से आरोपी का संगठित अपराध नेटवर्क बेनकाब

नशे के धंधे से जुड़े गैंग की पड़ताल जारी – साथी लवी शंकर मिश्रा का नाम भी आया सामने

फायरिंग में इस्तेमाल कार लखनऊ से आरोपी की निशानदेही पर बरामद

दिनांक 21.07.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर गोलीकांड के प्रकरण में भी आरोपी संलिप्त।

दिनांक-21.07.2025 की थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर गोली मारने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0-219/2025 धारा-3(5), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1),140(2), 62 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह निरीक्षक श्री मनोज कुमार, उ0नि0 अनीश यादव, म0उ0नि0 अर्चना, का0 अभिषेक यादव, का0 संजय चौहान, का0 पंकज चौहान, कां0 सत्यम शर्मा, का0 अजय कुमार द्वारा

थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 61(2), 140(2), 62 बीएनएस, 7 CLA एक्ट व 27/30 आयुध अधि० से सम्बन्धित प्रकरण में पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर चल रहे अभियुक्त सुशील सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से आज दिनांक 21.08.2025 को पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह अपने सहयोगी लवी शंकर मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा निवासी अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ (वर्तमान में जेल में बन्द) के साथ

मिलकर पूर्व में एमडी (**Methamphetamine Drugs**) की तस्करी करता था। वर्तमान में अकेले ही एमडी की अवैध सप्लाई कर रहा है तथा नशीले पदार्थ को गुप्त स्थानों पर जमीन में छुपाकर रखता है। अभियुक्त की निशानदेही पर पट्टी–रायपुर रोड स्थित के.एफ. मेरिज हाल के सामने उसकी बताई गयी जगह की खुदाई कर एक रैपर बरामद हुआ। रैपर खोलकर देखने पर उसमें हल्के पीले-सफेद रंग के छोटे-छोटे क्रिस्टलनुमा टुकड़े प्राप्त हुए, जिन्हें अभियुक्त ने एमडी (**Methamphetamine Drugs**) बताया। बरामद रैपर सहित वजन करने पर कुल **34.10** ग्राम पाया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि –

वह एमडी नशीले पदार्थ को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करता है।

इस अवैध कारोबार से उसने संपत्ति भी अर्जित की है।

एमडी को लोग स्मैक से भी अधिक खतरनाक बताते हैं, जिसे गुटखा के साथ मिलाकर खाया व सूंघा जाता है।

अभियुक्त सुशील सिंह उपरोक्त के बताये हुए स्थान ओमेक्स हजरतगंज कामर्शियल बिल्डिंग थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ की बेसमेन्ट पार्किंग में एक गाड़ी आडी कार पंजीयन संख्या एमएच **12** एफडब्लयू **0101** रंग सफेद की बरामदगी करायी गयी जो मु**0**अ**0**सं**0 219/25** उपरोक्त से सम्बन्धित है।

अभियुक्त के पास से **34.10** ग्राम नशीला पदार्थ एमडी की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु**0**अ**0**सं**0 243/25** धारा **8/21** एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुशील सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब **52** वर्ष ।

बरामदगी- **34.10** ग्राम नशीला पदार्थ एमडी बरामद ।

फायरिंग में इस्तेमाल कार लखनऊ से आरोपी की निशानदेही पर बरामद (मु0अ0सं0 219/25 उपरोक्त से सम्बन्धित है।)

आपराधिक इतिहास सुशील सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

01- मु0अ0सं0 339/2015 धारा 188 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ।

02- मु0अ0सं0 247/2018 धारा 427 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

03- मु0अ0सं0 251/2023 धारा 419, 420, 386, 506 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

04- मु0अ0सं0 219/2025 धारा 109(1), 115(2), 140(2), 190, 191(2), 191(3), 3(5), 351(3), 352, 61(2), 62 बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

05- मु0अ0सं0 221/2025 धारा 3(5), 352, 351(2), 126(2), 119(2), 115(2) बीएनएस का अभियोग थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

06- मु0अ0सं0 222/2025 धारा 3(5), 308(5), 352, 351(3) बीएनएस थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

07- मु0अ0सं0 343/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह निरीक्षक श्री मनोज कुमार, उ0नि0 अनीश यादव, म0उ0नि0 अर्चना, का0 अभिषेक यादव, का0 संजय चौहान, का0 पंकज चौहान, कां0 सत्यम शर्मा, का0 अजय कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-21.08.2025

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही – पाक्सो एक्ट एवं छेड़खानी के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रातंर्गत बेलखरी नाला पुलिया के पास रोड़ के किनारे झाड़ियों के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.08.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रातंर्गत निवासी वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में धारा 75/351 (2)/352 बीएनएस व 3 (1) /3(1) ध/3 (1) b/3(2)VA एससी एसटी एक्ट व 7/8 पॉक्सो अधि0 बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 जयकिशन मय हमराह उ0नि0 पुष्पराज सिंह,कां0 राहुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्तों 1. मोहित दुबे पुत्र राजेश दुबे निवासी पुरे स्वामीदास थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ, उम्र 28 वर्ष 2. राज मिश्रा पुत्र स्व0 सन्तोष मिश्रा निवासी पुरे स्वामीदास थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र 25 वर्ष को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के बेलखरी नाला पुलिया के पास रोड़ के किनारे झाड़ियों के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोहित दुबे पुत्र राजेश दुबे निवासी पुरे स्वामीदास थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ, उम्र 28 वर्ष

2. राज मिश्रा पुत्र स्व0 सन्तोष मिश्रा निवासी पुरे स्वामीदास थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र 25 वर्ष

पुलिस टीम-

उ0नि0 जयकिशन मय हमराह उ0नि0 पुष्पराज सिंह,कां0 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-21.08.2025

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 श्री विवेक कुमार यादव मय हमराह कां0 श्रीचंद के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर इजरार नं0 19/2019 नन्हेलाल बनाम घनश्याम धारा 72 उप० सं० अधि0 2019 थाना लालगंज से संबंधित 01 वारंटी धनश्याम वर्मा पुत्र रामखेलावन वर्मा निवासी ग्राम मधुकरपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धनश्याम वर्मा पुत्र रामखेलावन वर्मा निवासी ग्राम मधुकरपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री विवेक कुमार यादव मय हमराह कां0 श्रीचंद थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 21.08.2025

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बकोल के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर व थाना संग्रामगढ़ में चोरी, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना संग्रामगढ़ प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह उ0नि0 राकेश सिंह परिहार, का. आनन्द यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 21.08.2025 को 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त 01. विमलेश कुमार पुत्र श्रीनाथ सरोज निवासी गुलामीपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बकोल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 04 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 149/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विमलेश कुमार पुत्र श्रीनाथ सरोज निवासी गुलामीपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष ।

बरामदगी-

04 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

आपराधिक विमलेश कुमार पुत्र श्रीनाथ सरोज निवासी गुलामीपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ

01- मु**0**अ**0**सं**0 08/20** धारा **380, 457** भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

02- मु**0**अ**0**सं**0 149/25** धारा **4/5** विस्फोटक अधिनियम थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

03- मु**0**अ**0**सं**0 233/22** धारा **380, 411** भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

04- मु**0**अ**0**सं**0 72/24** धारा **3/25** आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ**0**नि**0** विनय वर्मा मय हमराह उ**0**नि**0** राकेश सिंह परिहार, का. आनन्द यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।